रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901
No. 101] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1901

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1979

सा. का. नि. 313(अ).—30 मार्च, 1979 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश 1979

मैं, नीलम संजीवा रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम गुजरात राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1979 है ।

2. गुजरात राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1960 के पैरा 8 में, उप-पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा (ग) अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(ग) पैरा 7 में निर्दिष्ट भत्तों और विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, गुजरात के राज्यपाल को वर्ष 1978-79 के दौरान गांधी नगर में राजभवन को सुसज्जित करने के लिए गुजरात राज्य की समेकित निधि पर 60,000 रुपए की राशि प्रभारित और उसमें से संदत्त की जाएगी।"।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं. 2/48/78-स्टेट्स]

पी. के. कठपालिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1979

G.S.R. 313(E).—The following Order made by the President on 30th March, 1979 is published for general information :—

THE GOVERNOR OF GUJARAT (ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT ORDER, 1979

In exercise of the powers conferred by section 44 of the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, hereby make the following Order further to amend the Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Order, 1960, namely :—

1. This Order may be called the Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1979.

2. In paragraph 8 of the Governor of Gujarat (Allowances and Privileges) Order, 1960, after sub-paragraph (b), the following sub-paragraph (c) shall be inserted, namely :—

"(c) In addition to the allowances and privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat to the Governor of Gujarat an amount of Rs. 60,000 during the year 1978-79 for furnishing the Raj Bhavan at Gandhinagar."

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 2/48/78-States]

P. K. KATHPALIA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979